राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

निविदा सूचना

क्रमांक : एचसी / एसके / 2016–17 / 292 दिनांकः 22.07.2016

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर कार्यालय उपयोगार्थ वर्ष–2016 हेतु 6000 टेलीफोन निर्देशिका का मुद्रण कर सप्लाई करने हेतु दरों के सम्बन्ध में मोहरबन्द निविदाएँ आमंत्रित की जाती है। टेलीफोन निर्देशिका की साइज 12X17.5 सें.मी. होनी चाहिये, इसके पृष्ठ 80 जीसीएम के सफेद मेपलिथों (Maplitho) पेपर तथा मुख्य पृष्ठ हेतु आर्ट कार्ड (with Plascit Lemanited) का होना चाहिये। टेलीफोन निर्देशिका हेतु मेन्युस्क्रिप्ट एवॅ नमूना कार्यालय द्वारा उपलब्ध करवाया जायेगा। (अनुमानित मूल्य 2 लाख रूपये है)

निविदा प्रपत्र दिनॉक 23.07.2016 से 02.08.2016 को दोपहर 2 बजे तक कार्यालय के मुख्य रोकड़पाल (Cashier) से निर्धारित शुल्क देकर प्राप्त किये जा सकते है। निविदाएँ दिनांक 03.08.2016 को प्रातः 11.00 बजे तक प्राप्त की जावेंगी। निर्धारित समय के पश्चात प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा। प्राप्त निविदाएँ दिनांक 03.08.2016 को दोपहर 12.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं / प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जाएगी। निविदा का विस्तृत विवरण एवं शर्ते विभाग की वेबसाइट http://www.hcraj.nic.in पर देखी जा सकेगी।

आज्ञा से,

SKBhati
22-7-16
उपनिबन्धक (न्यायिक),

22-7-16

कार्यालयः राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

:: निविदा एवं अनुबन्ध की शर्ते ::

1. निविदा प्रपत्र मय विवरण कार्यालय समय में दिनांक 23.07.2016 से दिनांक 02.08.2016 को दोपहर 2 बजे तक कार्यालय के मुख्य रोकड़पाल (Cashier) राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर कार्यालय से निर्धारित शुल्क देकर प्राप्त किए जा सकते है।

2. निविदाएँ पूर्ण रूप से भरी जाकर मोहरबंद निविदाएँ दिनांक 03.08.2016 को प्रातः 11.00 बजे तक कार्यालय में पहुँच जानी चाहिए। निविदाएँ पूर्ण रूप से भरी होनी चाहिये। प्राप्त निविदाएँ दिनांक 03.08.2016 को दोपहर 12.00 बजे उपस्थित निविदाताओं/प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जाएगी। विलम्ब से प्राप्त निविदाएँ स्वीकार नहीं की जाएगी ।

3. निविदादाता को अनुमानित क्रय राशि का 2 प्रतिशत रूपये कार्यालय में धरोहर राशि के रूप में नगद रूप से अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जमा करवाई जायेगी। डिमाण्ड ड्राफ्ट '**रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर**' के नाम से देय होगा। निविदा प्रपत्र के साथ नगद की रसीद या डिमाण्ड ड्राफ्ट मूल रूप से संलग्न करना होगा तथा लिफाफे के बाए कोने में निविदादाता का नाम, पता व फोन नम्बर लिखे होने चाहिये।

4. निविदा एवं प्रस्तुत दरें सभी करों सहित शब्दों एव अंकों में स्पष्ट रूप में लिख कर अंकित करनी होगी। निविदा प्रपत्र व संलग्न सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर करने होगें तथा कॉट–छॉट होने पर अपने लघु हस्ताक्षर करके दरे पृथक से स्पष्ट रूप से लिखनी होगी। निविदा प्रपत्र में प्रस्तुत दरों में सामान को निर्दिष्ट स्थान/भण्डारगृह पर पहुँचाने का खर्चा (Handling Charges) भी सम्मिलित होगा।

5. राजस्थान उच्च न्यायालय, टेलीफोन निर्देशिका 2016 का मुद्रण, कार्यालय द्वारा उपलब्ध करवायें गये मेन्युस्क्रिप्ट एवॅ नमूनानुसार होनी चाहिये। टेलीफोन निर्देशिका की साइज 12X17.5 सें.मी. की हो, जिसमें अच्छी क्वालिटी का मेपलिथों (Maplitho) पेपर काम में लिया जावें तथा मुख्य पृष्ठ पर आर्ट कार्ड (Artcard) काम में लेते हुए लेमिनेशन किया हुआ होना चाहिये। निर्देशिका लगभग 200 पृष्ठो पर आगे पीछे मुद्रण करना होगा।

6. टेलीफोन निर्देशिका का ले–आउट और डिजाइन अच्छे स्तर का होना चाहिये। किसी भी ले–आउट और डिजाइन को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार कार्यालय के पास सुरक्षित रहेगा । टेलीफोन निर्देशिका का मुद्रण करने से पूर्व ले–आउट और डिजाइन राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर कार्यालय द्वारा अनुमोदित करवाया जाना आवश्यक है।

7. टेलीफोन निर्देशिका में चूंकि राजस्थान का मानचित्र तथा स्थापित न्यायालयों की स्थिति का कलर प्रिण्टेड मानचित्र (Judicial Setup) संलग्न मुद्रित होगा, अतः मानचित्र मुद्रण हेतु अधिकृत फर्म ही निविदा में भाग ले सकेगी।

8. टेलीफोन निर्देशिका का वांछितानुसार मुद्रण कार्य कर पन्द्रह (15) दिवस के भीतर कार्यालय में सप्लाई करनी आवश्यक होगी।

दिनांक :
स्थान :

हस्ताक्षर निविदादाता
मय मोहर

क्रमशः पृष्ठ सख्या –2

कार्यालय: राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

:: निविदा एवं अनुबन्ध की शर्ते ::

9. माल/वस्तु की सप्लाई आदेश प्राप्ति के तीन दिवस के भीतर सप्लाई किये जाने वाले सामान की कुल कीमत का 5 प्रतिशत राशि प्रतिभूति के रूप में जमा करवानी होगी। जिसमें जमा धरोहर राशि का समायोजन प्रतिभूति में किया जा सकेगा। सभी महत्वपूर्ण शर्ते उसके बदले स्वीकार की गई सभी शर्ते तथा फर्म के साथ पत्र व्यवहार अनुबन्ध का भाग होगा।

10. अग्रिम भुगतान देय नहीं होगा। सन्तोषप्रद सप्लाई के पश्चात ही भुगतान देय होगा। प्रत्येक सप्लाई आदेशानुसार वर्णित समय सीमा में वांछित गुणवत्ता/ निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप एक साथ करनी होगी। माल आदेशानुसार नहीं होने पर निविदादाता के खर्चे पर लौटाया जा सकेगा तथा ऐसा सामान बाजार से मुद्रण सहित क्रय कर अंतर की राशि/ अधिक व्यय सम्बन्धित निविदादाता से वसूल की जाएगी ।

11. किसी भी निविदा को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्वीकार/अस्वीकार करने को पूर्ण अधिकार कार्यालय को होगा। विभाग न्यूनतम निविदा को स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं होगा। निविदा खोले जाने एवं स्वीकार किये जाने की तिथियों में परिवर्तन का अधिकार अद्योहस्ताक्षकर्ता में निहित होगा ।

12. निदेशक इण्डस्ट्रीज एवं सप्लाई, राजस्थान के अर्न्तगत पंजीकृत फर्म, पंजीकृत वस्तुओ की निविदा दे सकती है। उनको धरोहर राशि जमा कराने की छुट का लाभ नियमानुसार देय होगा। किसी अन्य सप्लाई के लिए जमा धरोहर राशि का समायोजन इस निविदा पेटे नहीं किया जावेगा।

13. उक्त कार्य सम्पादन/आपूर्ति में यदि किसी भी प्रकार की हानि होती है तो इसके लिये कार्यालय किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति नहीं करेगा न ही कोई जिम्मेवारी इस कार्यालय की होगी।

14. सामग्री सप्लाई आदेश में वर्णित समय अवधि (कार्यालय द्वारा निर्धारित समय) के भीतर ही करनी होगीं। विलम्ब से सप्लाई पर नियमानुसार शास्ति लगाई जायेगी ।

15. उक्त निविदा में सफल निविदादाता अपने कार्य को स्वयं के स्तर पर ही सम्पादित करेगा स्वीकृत कार्य को किसी अन्य एजेन्सी या फर्म के माध्यम से नहीं करवायेगा अर्थात् सबलेट नहीं करेगा।

16. उपरोक्त शर्तो के अतिरिक्त जहॉ आवश्यक हो राजस्थान सरकार के General Financial and Accounts Rules के नियम एवं Transparency in Public Procurement Rules, 2013 के के प्रावधान लागू होगें

17. सशर्त निविदा स्वीकार्य नहीं होगी ।

दिनांक :
स्थान :

हस्ताक्षर निविदादाता
मय मोहर